

क्षेत्र-पत्र

११ फरवरी, १९६० ई०

सं० ११-एत-डी/३६-ए-१२१६ (एत-डी)-५९-उत्तर प्रदेश गवट (भाग १), विनास १ जनवरी, १९६० ई० के मु० क्र० २२७८ अन्तर्गत विनियमित संख्या २७९७ (एत-एम)/१६-ए-१२१६ (एत-एम)-५९, विनास २ जनवरी, १९६० ई० में "एत-डी/३६-ए-१२१६" के स्थान पर शब्द "गुणवत्-विभाग-१३जीएम" बढ़ाये।

भारत से,
क्षेत्रीय पत्र कार्यालय
लखनौ।

वन विभाग

विधि

१० फरवरी, १९६० ई०

सं० १११५/१८-३३१-२०-उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का मत है कि इतिवृत्त कार्यालय एतद; १९२७ (एत सं० १२७) की धारा २९ की उपधारा (३) के अधीन अधिनियमित जाँच तथा अभिलेख करने में इतना अधिक समय लगेगा कि इस जाँच उत्तर प्रदेश के अधिकारी को असह्य ही पड़ता है।

आपके उपर्युक्त उपधारा के प्रतिपक्षक द्वारा और उपर्युक्त एतद की धारा ८०-ए के तहत पठित उक्त धारा की उन (१) धारा अधिनियमों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय धोषित करते हैं कि इस प्रकार जाँच तथा अभिलेख करने में उक्त एतद के अध्याय ४ के उपधारा तल्लम अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर लागू होंगे।

अनुसूची

क्र.सं.	नाम	क्षेत्रीय मील, फीट और छोटी गे.	विस्तार
१	मेरठ-जामवत रोड	१ मील से ११ मील २ फ०	भूमि की प्रत्येक छत की मई है।
२	जामवत-तुहलपुर	१ मील से २४ मील ३ फ०	"
३	जामवत-सीनी-आहवा	जाम से १७ मील २ फ० २६० फीट तक	"
४	मेरठ-बुआना	२ मील से १७ मील	"
५	मेरठ-मुल्करापुर	२ मील से २९ मील तक	"
६	डी० आर० एम० रोड	२१ मील से ५५ मील	"
७	डी० रोड	८७० मील से ८७३ मील	"
८	जामवत-जामवत रोड	१ मील से ६ मील	"
९	जामवत-रेसवे	जाम से २ फ० १०६ फीट तक	"
१०	सीनी-रेसवे फीडर	जाम से ६४० फीट तक	"
११	सीनी-रेसवे फीडर	जाम से ४ फ० १० फीट तक	"
१२	मेरठ-तबरेता रोड	२.४२६ से १२.३३२०	"
१३	मेरठ-तबरेता रोड	०.०० से ६.४.३६०	"
१४	मुल्करापुर-सीनी रोड	३३ मील से ३१ मील ३ फ० ३०० फीट तक	"
१५	सीनी-जामवत रोड	१ से ९ मील	"
१६	मेरठ-बरेली रोड	२३ मील से ३१ मील ३ फ० २०० फीट तक	"
१७	जामवत-हाईवेरट सं० ३४	२८ मील ६ फ० से ८ फ० तक ३ मील १ फ० से ३ फ० तक	"
१८	डी० रोड-गाजीपुर से उत्तर प्रदेश गवट	८७४ मील ५४८ फ० से ८७९ मील २ फ० ७० फीट तक	"
१९	गाजीपुर-हनुमान रोड	१ मील से २१ मील ६ फ० २४९ फीट तक	"
२०	हनुमान रोड	१ मील ४८४ फीट से १९ मील ४ फ० ७० फीट तक	"
२१	डी० आर० एम० रोड	५६ मील से २१ मील	"
२२	जामवत-जामवत-विजयपुर	२४ मील ६ फ० से २ मील ३१ फीट तक	"
२३	जामवत-जामवत-जामवत	२ मील से ३१ मील	"
२४	जामवत-जामवत-तुहलपुर	७७ मील से १० मील	"
२५	जामवत-जामवत-विजयपुर	७३ मील से २१ मील तक	"
२६	सीनी-जामवत	जाम से ३ मील तक	"
२७	जामवत-जामवत-पुष्पा-डी०	७ मील तक	"
२८	जामवत-जामवत-तुहलपुर रोड	२४ मील से ५३ मील ३ फ० तक	"

(11)

नाम संख्या

रूरी मोल, फ० और फिटों में

३५-बागपुर	१-लखनऊ-बागपुर रोड	मी० १९५ से मी० १७६ तक
	२-बागपुर-रैलेवे फीड रोड	शून्य से २ फ० २४५ फीट तक
	३-लाहौर जंक्शन-बागपुर रोड	१ मोल ३ " २६६ "
	४-मिर्जापुर-बागपुर रोड	३५ " १ " १०७ "
	५-लखनऊ-मिर्जापुर रोड	१८ " ४ " १३६ "
	६-बागपुर-लाहौर-मिर्जापुर-वेल्डिंग तक	२३ " ६ " ४४० "
	७-लाहौर-बागपुर रोड	१ " १ " ४९१ "
	८-मिर्जापुर-बागपुर रोड	१२ "
	९-बागपुर-मिर्जापुर रोड	२४ " से २७ मोल ६ फ० ५६० फीट तक
	१०-लाहौर-बागपुर-मिर्जापुर रोड	शून्य से ६ मोल ५ फ० १५० "
	११-बागपुर-मिर्जापुर लिंक रोड	" " १ " ३ " ४४० "
	१२-लाहौर-मिर्जापुर रोड	" " ७ " ३ " ४८० "
	१३-बागपुर रैलेवे जंक्शन रोड	" " ७ फ० २८० फीट तक
	१४-बागपुर बाग मी० से ६५५	३ फ० ७३ फीट से ७ फ० २० फीट तक
	१५-लाहौर-बागपुर रोड	शून्य से ४ मोल ४ फ० ५०९ "
	१६-बागपुर-मिर्जापुर रोड	" " ३ फ० १२१ "
	१७-मिर्जापुर रैलेवे फीड रोड	" " १ " ४४० "
	१८-लाहौर-बागपुर रोड	" " २३ मोल १ फ० ४९१ "
३६-बागपुर	१-लाहौर-मिर्जापुर रोड	मील १ से मील ४ तक
	२-बागपुर रोड	१ मोल ३ फ० तक
३७-बागपुर	१-लाहौर-मिर्जापुर रोड (एच० डी)	२० से ४७ मोल तक
	२-बागपुर-मिर्जापुर रोड (एच० डी)	६५ से ८५ मोल तक
	३-लाहौर-मिर्जापुर रोड (एच० डी)	४७ से ७० मोल तक
	४-बागपुर रोड	१ से २ (फ० २) तक
	५-बागपुर-मिर्जापुर रोड	३ से १४ मोल तक
	६-बागपुर-मिर्जापुर रोड	१ से ४ १/२ मोल तक
	७-बागपुर रोड	३ से ७ मोल ४ फ० तक
	८-बागपुर रोड	"
	९-बागपुर-मिर्जापुर रोड	१५ से ३२ मोल तक
	१०-मिर्जापुर-लाहौर रोड	१ से २७ मोल तक
	११-लाहौर-मिर्जापुर रोड	१ से १३ मोल तक
	१२-बागपुर-मिर्जापुर रोड	४२३ से ४७७ मोल तक
	१३-मिर्जापुर-लाहौर रोड	१ से ४३ मोल तक
	१४-मिर्जापुर-लाहौर रोड	१ से ६७ मोल तक
३८-बागपुर	१-लाहौर-बागपुर रोड	मील १ से मील २० तक
	२-लाहौर-बागपुर रोड	मील १ से मील १३ तक
	३-बागपुर-मिर्जापुर रोड	मील ४२३ से मील ४७७ तक
	४-मिर्जापुर-लाहौर रोड	मील १ से मील ४३ तक
	५-बागपुर-लाहौर रोड	मील १ से मील ६ तक

स्वीकारित

(Signature)

जमागाव वनाधिकारी
बाराबंसी वन प्रभाग
बाराबंसी

परिशिष्ट - 1.4 क्रमशः

25 जनवरी 1979

संख्या- 8109/चौदह- 2-503-77 भारतीय वन अधिनियम 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) का धारा-29 के अधीन शक्ति का और इस विहित अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित उत्तर प्रदेश राज्य में रेलवे के दोनों तरफ का सरकारी वन या वन्य भूमि को पट्टियों को, चाहे उन पर वृक्ष लगे हों, या नहीं, संरक्षित वन घोषित करत है तथा उन पर उक्त अधिनियम के अध्याय-4 धारा-68 के उपबन्ध लागू होंगे।

अनुसूची

पट्टी का नाम	विवरण और स्थिति
रेलवे	प्रबन्ध के लिये वन विभाग को अन्तरिम पूर्वोत्तर रेलवे के निम्नलिखित संवर्धन के रेलवे ट्रैक और स्टेशन यार्ड से लगी हुई भूमि।

वाराणसी मण्डल

- 1 भदनी से गोरखपुर छावनी
- 2 भदनी से वाराणसी।
- 3 वाराणसी से इलाहाबाद सीटी।
- 4 वाराणसी से इलाहाबाद सीटी
- 5 गोरखपुर से छावनी से तिनफूरिया (हाल्ट लूप)
- 6 औडिहार जंक्शन से बकुलहा
- 7 छितौनी से कप्तानगंज
- 8 सलिमपुर से बरहज बाजार
- 9 इन्धारा से दोहरीघाट
- 10 मऊ जंक्शन से शाहगंज
- 11 फेफना से इन्धारा
- 12 औडिहार से जौनपुर
- 13 माधोसिंह से मिल्हा।

सत्यापित
(D.L.)

प्रभागांश सहायिका
बाराणसी वन प्रभाग
वाराणसी

परिशिष्ट - 104 क्रमगतः

वन विभाग
अनुभाग- 2
अधिसूचना
22 जून - 1978 ई०

संख्या - 3559/ भीवह 2-505- भारतीय वन अधिनियम 1929 (अधिनियम संख्या 10, 1927) की धारा 29 के अधीन शक्ति का और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित उत्तरी प्रदेश में रेलवे के दोनों तरफ सरकारी या बंजर भूमि की पट्टियों को, चाहे सब पर वृक्ष लगे हों या नहीं, संरक्षित वन घोषित करत है तथा उन पर उक्त अधिनियम के अध्याय - 4 और धारा - 68 के उपबन्ध लागू होंगे।

अनुसूची

पट्टी का नाम

विवरण और स्थिति

प्रकार के लिये वन विभाग को अन्तर्गत उत्तरी रेलवे के निम्नलिखित वन सेवशन के रेलवे और स्टेशन चार्ज से लगी हुई भूमि।

लखनऊ विभाजन

- 1 लखनऊ - राय बरेली - प्रतापगढ़
- 2 वाराणसी - मुगलसराय
- 3 उत्तरडिया-सुल्तानपुर - जफराबाद
- 4 उन्नाव - ऊंचाहार
- 5 फैजाबाद-सुल्तानपुर-फाफामऊ।

स्वीकृत

(Handwritten Signature)

प्रभागिय वनाधिकारी
जनता वन प्रभाव
वाराणसी

आज्ञा सं
(ए०पी० वि०)
सचिव